दिनांक 13.05.2026 को जनपद में आयी आंधी–तूफान के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत व्यवस्था तथा वर्तमान की भीषण गर्मी के दृष्टिगत जल जीवन मिशन योजना के तहत नियमित पेयजल आपूर्ति कराये जाने से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।

तिथि : 23.05.2026

समय : सायं 05:00 बजे

स्थान/माध्यम : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मीरजापुर

उपस्थिति : श्री रत्नाकर मिश्रा, मा0 विधायक, नगर विधानसभा, मीरजापुर।
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य, मा0 विधायिका, मझवाँ विधानसभा, मीरजापुर।
श्रीमती रिन्की कोल, मा0 विधायिका, छानबे विधानसभा, मीरजापुर।
अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
मुख्य अभियन्ता (मी0क्षेत्र), उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड–चुनार, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

–: मुख्य ऐजेण्डा एवं चर्चा के बिन्दु :–

बैठक के दौरान मा0 विधायकगण द्वारा दिनांक 13.05.2026 को जनपद मीरजापुर में आयी आंधी–तूफान के बाद उत्पन्न हुई विद्युत समस्या तथा वर्तमान की भीषण गर्मी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भारी किल्लत का मुद्दा अत्यन्त गम्भीरता के साथ उठाया गया तथा उसके निस्तारण हेतु समीक्षा के दौरान निम्नलिखित सुझाव व निर्देश दिये गये :–

1. **आंधी से विद्युत विभाग को क्षति एवं गर्मी में पेयजल आपूर्ति (विशेष बिन्दु)**

- **आंधी–तूफान से हुई छति :–** हाल ही में आयी तेज आंधी–तूफान के कारण विद्युत विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर (पोल, तार और ट्रांसफार्मर) को भारी नुकसान पहुंचा है। कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ठप होने के कारण विद्युत संचालित पेयजल योजनायें पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है।
- **डीजल से पेयजल आपूर्ति न होने पर नराजगी :–** मा0 विधायकगणों द्वारा इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी कि वर्तमान के तीव्र गर्मी और लू को देखते हुये जिन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है वहां पर वैल्पिक व्यवस्था के तहत जेनरेटर चलाकर पेयजल की आपूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाए। कार्यदायी संस्थाओं और सम्बन्धित अभियन्ताओं की यह शिथिलता अक्षम्य है।

Scanned with CamScanner

- **निर्देश :-** अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय/चुनार, मीरजापुर यह सुनिश्चित करा ले कि तूफान-आंधी से क्षतिग्रस्त हुई सभी लाइनों को 03 दिवस के अन्दर युद्धस्तर पर ठीक करा दें, ताकि विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल हो सके। साथ ही जल निगम के अधिशासी अभियन्ता और कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धकों को कड़े निर्देश दिये गये कि बिजली न रहने की स्थिति में जेनरेटर चलाकर हर हाल में पेयजल की आपूर्ति चालू रखी जाये। इसमें किसी भी प्रकार कि लापरवाही पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

2. <u>विद्युत आपूर्ति एवं लंबित शिकायतें (पोर्टल समीक्षा)</u>

- **लम्बित शिकायतें :-** विद्युत विभाग के पोर्टल पर कुल 36 शिकायतें लम्बित पायी गयी। उपरोक्त सभी 36 शिकायतों का निस्तारण 24 घण्टे के अन्दर प्रत्येक दशा में निस्तारित करा दिया जाए।

- **लो-वोल्टेज एवं अनबैलेन्स वोल्टेज :- विकास खण्ड जमालपुर** के राजस्व ग्राम कैमा रसूलपुर, बरौंधा, **विकास खण्ड राजगढ़** के राजस्व ग्राम कुवा खुर्द, रामपुर ढबही में लो-वोल्टेज की समस्या को तत्काल सही कराया जाए। **विकास खण्ड हलिया** के राजस्व ग्राम गलरा, बरूआ, में अनबैलेंस वोल्टेज की समस्या को भी ठीक कराते हुए अवगत कराया जाए। **विकास खण्ड नगर (सीटी)** के राजस्व ग्राम विजयपुरा, लच्छापट्टी, बेदौली कलॉ, खड़रा पर विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे के अन्दर प्रत्येक दशा में बहाल करायी जाए। **विकास खण्ड छानबे** के राजस्व ग्राम डंगहर, सुमतिया, पाली पर विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे के अन्दर प्रत्येक दशा में बहाल करायी जाए। **विकास खण्ड नगर (सीटी)** के अर्जुनपुर फीडर से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में विद्युत आपूर्ति मात्र 4 से 5 घण्टे ही की जाती है एवं **विकास खण्ड पहाड़ी** के राजस्व ग्राम चपगहना, भीटी, देवापुर पटखौली में माह दिसम्बर, 2025 में भुगतान किये जाने के बावजूद विद्युत कनेक्शन का कार्य अभी तक लम्बित है जो घोर लापरवाही का घोतक है। **तद्क्रम में मुख्य अभियन्ता (मी0 क्षेत्र) को अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रकरणों का स्वयं संज्ञान लेकर सम्बन्धित अभियन्ताओं के माध्यम से निस्तारण कराते हुए उक्त राजस्व ग्रामों पर विद्युत आपूर्ति 72 घण्टे के अन्दर बहाल कराकर कर आख्या प्रस्तुत करें।**

- **लापरवाही पर कार्यवाही :-** चेकसारी में अवर अभियन्ता विद्युत विभाग द्वारा आंधी-तूफान के बाद कार्यस्थल से भाग जाने (कर्तव्य में घोर लापरवाही) की घटना को गम्भीरता से लेते हुये उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

3. <u>कार्यदायी संस्थाओं पर एफ0आई0आर0 एवं सड़क बहाली</u>

- **एफ0आई0आर0 एवं पेनाल्टी :-** जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यदि आंधी-तूफान या गर्मी का बहाना बनाकर कार्य नही कराया जा रहा है अथवा डीजल व्यवस्था करने में आनाकानी करते हुए विद्युत न रहने पर जेनरेटर के माध्यम से नियमित जलापूर्ति नही कराया जा रहा है तो अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित संस्था के परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराते हुए कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार भारी पेनाल्टी लगाये जाने हेतु कार्यवाही करें।

- **अधूरे कार्य :-** समस्त परियोजनायें आपरेशन एण्ड मेनटैनेन्स में जाने के बाद भी कई राजस्व ग्रामों में निरन्तर रूप से पानी की आपूर्ति नही की जा रही है। ऐसे राजस्व ग्रामों में तत्काल मैनपावर में वृद्धि करते हुये समस्त अपूर्ण कार्यो को माह-मई, 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करते हुये जलापूर्ति सुचारू रूप कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

- **मानव संसाधन में वृद्धि** :- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक योजनाओं पर अपेक्षित मैनपावर/मशीनरी के सापेक्ष मैनपावर/मशीनरी मे वृद्धि नही की जाती है तो सम्बन्धित संस्था के स्टेट हेड एवं परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की कार्यवाही करते हुए संस्था को Black Listed किये जाने हेतु संस्तुति पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाए।
- **तकनीकी मैनपावर एवं पम्प ऑपरेटरों का सत्यापन** :- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल/ओ0एच0टी0 पर लगायें गये मैनपावर/पम्प ऑपरेटरों की सूची प्राप्त कर टी0पी0आई0/पी0एम0सी0 के माध्यम से सत्यापन कराकर आख्या 03 दिवस के अन्दर अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ताओं/कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धको को <u>निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया</u> :-

- ➢ समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से समन्वय स्थापित कर समस्त समस्याओं का निकराकण/निस्तारण सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराते हुए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- ➢ टीम लीडर टी0पी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि सभी राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की धरातलीय जाँच कर विस्तृत रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें तथा अवशेष रोड रेस्टोरेशन, जो सड़क मानक के अनुसार नही बनाई गई है उसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ➢ मुख्य अभियन्ता (मी0क्षेत्र), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, मीरजापुर को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर लम्बित कुल 36 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 24 घण्टे के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।
- ➢ अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक साइट पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान जलापूर्ति डी0जी0/जनरेटर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें, यदि जलापूर्ति कराये जाने में किसी भी संस्था द्वारा लापरवाही किया जाए, तो सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करायें।
- ➢ समस्त कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले **<u>राजस्व ग्रामों में शत्-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य</u>** पूर्ण कराया जाये, क्यों कि जनपद में नामित समस्त आधिकारीगणों/विधायकों एवं ग्रामनिवासियों द्वारा प्रतिदिन दूरभाष एवं लिखित रूप से पूर्व निर्मित सड़क खोदकर पुनः ठीक न कराए जाने से सम्बन्धित समस्या से अवगत कराया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा रोड रेस्टोरेशन के. कार्यो में लापरवाही की जा रही है खराब सड़को की वजह से स्थानीय ग्रामवासियों को यातायात सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- ➢ अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित कर दूधनाथ चौराहे से शिवपुर वाले रोड पर सीवर का पानी सड़क पर बह रहा है का स्थलीय निरीक्षण

Scanned with CamScanner

करते हुए निस्तारण कराकर आख्या 03 दिवस के अन्दर जी0पी0एस0 फोटो सहित अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने वाली संस्थाओं/अभियन्ताओं/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक-1116 /आ0लि0-नमामि गंगे-2026 दिनांक 27 मई, 2026

---000---

प्रतिलिपि- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (मी0क्षेत्र), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, मीरजापुर।
5. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-प्रथम, द्वितीय एवं चुनार, मीरजापुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।
11. टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
12. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

Scanned with CamScanner